

प्रश्न सं. [क्र. 1957]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक - 1957 (तारांकित)

द्वारा माननीय श्री कुणाल चौधरी

प्रपत्र 'अ'

मार्ग का नाम	प्रश्न क्रमांक 1822 अनुसार सूची में क्रमांक	सड़कों यातायात गणना परिशिष्ट "क" का पृष्ठ क्रमांक	पर	भविष्य यातायात अनुमान परिशिष्ट का पृष्ठ क्रमांक	में वर्ष 2019 की स्थिति में यातायात वास्तविक संख्या (PCU)	की	डीपीआर अनुसार वर्ष 2019 की स्थिति में यातायात की अनुमानित संख्या (PCU)	6	6 (औसत)	7
1	2	3	4	5	6	7				
भोपाल - देवास मार्ग	03	1 - 3	1 - 3	16052	33291+32270+30779	100%				
लेबड-जावरा मार्ग	05	4-7	4-7	22983	24851+33905+29573	28.10%				
लेबड-मानपुर मार्ग	06	8-9	8-9	13396	19226+14044	24.18%				
झाबुआ-जोबट मार्ग	10	10-12	10-12	318	5649 +7745	2005%				
रीवा एम.पी./यूपी बॉर्डर	13	13-25	13-25	27557	18378	(-) 33.3%				
इंदौर-उज्जैन मार्ग	14	26-28	26-28	16709	24519	46.74%				
सीधी-सिंगरौली मार्ग	16	29-37	29-37	निरंक	20446	निर्माणाधीन				
ब्यावरा-राजस्थान मार्ग	19	38-40	38-40	3064	9428	208%				
जावरा-नयागांव	23	41-46	41-46	30377	41182+41975+41970	37.30%				



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय \ REGIONAL OFFICE

ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज रेल्वे स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016

E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Railway Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone : 0755-2426638, फॅक्स/Fax : 0755-2426698, ई-मेल/E-mail : robhopal@nhai.org

परिशिष्ट-1



भारतमाला
एक ही रास्ता सबके
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

भाराराप्रा/आर.ओ.-एम.पी./2020/वि.स./38544

दिनांक 09.03.2020

प्रति

कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा.परि.)

लो.नि.वि. अरेरा हिल्स

भोपाल (म.प्र.)

विषय: यातायात के संबंध में। (विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.-1957 द्वारा, माननीय श्री कुणाल चौधरी)।

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन मेल दिनांक 29.02.2020.

महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 29.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्र.-1957 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पक्रिइकाई-इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1822, दिनांक 20/12/19 के संदर्भ में BOT सड़कों की सूची में से क्रमांक 3,5,6,10,13,14,16,19,23 की सड़कों की डी.पी.आर की प्रति देवें तथा बतावें कि इसमें यातायात की गणना एवं भविष्य में यातायात का अनुमान किस-किस पृष्ठ पर किया गया है?	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1822, दिनांक 20/12/19 के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर में BOT सड़कों की सूची में से क्रमांक 1 से 97 की सड़कों इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अतः जानकारी निरंक है।
(ख)	क्या प्रश्नाधीन 59 BOT की सड़कों पर संग्रहित टोल राशि में राज्य शासन को हिस्सा प्राप्त होता है? यदि हां तो किस सड़क पर किस नियम से कितना प्रतिशत हिस्सा संग्रहण का मिलता है।	
(ग)	क्या प्रश्नाधीन सड़क के निवेशकर्ता संग्रहित टोल राशि की दैनिक/मासिक जानकारी शासन को देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या अनुबंधों में इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है?	
(घ)	क्या डी.पी.आर में यातायात की गणना तथा भविष्य के आकलन में गलत आंकड़े दिये गये हैं? इसकी जांच परीक्षण तथा मूल्यांकन किस स्तर पर की गयी है? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सड़कों पर वर्ष 2019 की स्थिति में यातायात की संख्या का परीक्षण कर बतावें कि डी.पी.आर के उल्लेख से वह कितने प्रतिशत भिन्न हैं?	

किशोर चंदवानी

(किशोर चंदवानी)
महाप्रबंधक (तक.)